फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, (FT) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री नितिन | विपक्षी : श्री मांगीबाई

किस्म मुकदमा – 212 रा.का. अधिनियम | पत्रावली संख्या : 25/24

जीसीएमएस : 2024/68

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 24.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 320 पर दर्ज आराजी नम्बर 2897, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2907, 2908, 2910 किता 9 कुल रकबा 2.9946 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 1873 पर दर्ज आराजी नम्बर 2911 रकबा 0.1619 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार दर्ज हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी द्वारा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया हैं। उसी के साथ यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। प्रकरण में दिनांक 21.10.24 से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं। चूंकि वाद बंटवाडे का होने से यदि विपक्षी संख्या 1 को रोका नहीं जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी एवं हिस्सा विशेष भूमि का विक्रय कर देती है तो इससे प्रार्थी के हक अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। चूंकि सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माना जाता हैं। अतः पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य एवं विपक्षी संख्या 1 का काउन्टर प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप विपक्षी संख्या 1 का काउन्टर प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 320 पर दर्ज आराजी नम्बर 2897, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2907, 2908, 2910 किता 9 कुल रकबा 2.9946 हेक्टेयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purnadia
Date: 2025.05.26 11:52:24 IST
Reason: SelfAttested

एवं खाता संख्या 1873 पर दर्ज आराजी नम्बर 2911 रकबा 0.1619 हेक्टेयर भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 1 मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.05.26 11:52:24 IST
Reason: SelfAttested